कामकाजी महिला

वर्ष 4 अंक 7 अक्टूबर, 1992 मूल्य : 2 रु०

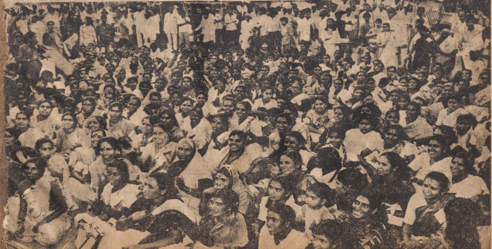

हम एक हैं, एक रहेंगे

सद्भाव, शान्ति, एकता के लिए महिला संगठनों की अपील

साथियों,

जनता को विभाजित करने वाली और उनका ध्यान मूल समस्याओं से हटाने वाली साम्प्रदायिक ताकतें, चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक हो, की बढ़ोतरी पर उन सभी को गहरी चिन्ता है जो न्याय, समानता व महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

आज के हिन्दुस्तान में अगर किसी महिला से यह पूछो कि बहन तुम्हारे सामने मुख्य समस्या क्या है चाहे उस महिला का नाम आशा हो या सलमा हो, जवाब तो एक ही मिलेगा : हम कमरतोड़ महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, हर आवश्यक चीजों के दाम, चाहे चावल हो या गेहूं तेल या चीनी, डबलरोटी या दूध, इस कदर बढ़ गए हैं कि जीना ही मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर जहाँ बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही है, वहाँ सरकार, मालिकों की छटनी और मिल बन्दी की खुली छूट दे रही है। यानि की आज के हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते हर आम परिवार बेहद दुखीः और परेशान है। पिछले एक ही साल में सरकारी आकड़ों के मुताबिक ढाई करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे ढकेल दिये गये हैं।

ऐसी परिस्थितियों में जनता की व्यापक एकता पर आधारित एक देश व्यापि संघर्ष की जरूरत है जो सरकार को मजबूर करे की महंगाई को रोके, रोजगार की सुविधाओं को बढ़ाए इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसी राजनैतिक ताकतें आज फिर दोबारा सिर उठा रही है और धर्म की आड़ में जनता के ध्यान को बुनियादि सवालों से हटाकर, आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है। विशेष कर महिलाओं की धार्मिक भावनाओं का दुरूपयोग करके अपने राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करवाने की कोशिश कर रही है। ये ताकतें जिनका नेतृत्व भाजपा, विश्व हिन्दु परिषद, आर एस एस, बजरंग दल इत्यादि कर रहे हैं, न देश के

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

समाज सेवा में लिप्त महिलाओं की स्थिति	3
केरल गवर्नमेंट नर्सेज ऐसोसिएशन का 34वां राज्य सम्मेलन	5
ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने पर सी.सी.एस. लिमिटेड से महिला कर्मचारियों की छंटनी	6
जर्मनी के समक्ष एकीकरण की असलियत खुली	7
अपने हित साधने के लिए सिलाई केंद्र बंद किए गए	
गैस पीड़ित महिलाओं का सम्मेलन संपन्न	8
शिमला एल.आई.सी. महिलाओं का पहला सम्मेलन	9
श्रम संगठन : महिलाएं आगे क्यों नहीं हैं ?	10
बम्बई में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का विशाल प्रदर्शन	12
आँगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्यक्रम	13
आँगनवाड़ी फेडरेशन, विजयवाड़ा की कार्यकारी समिति का एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसला	14
15 सितंबर को पंजाब में जबर्दस्त धरना	15
आर्थिक सर्वेक्षण 1991-92	15
महिलाएं : कम मजदूरी—मेहनत पूरी	16
आंगनवाड़ी प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला	16
विधानसभा पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना	16
आंगनवाड़ी के हजारों बच्चे खिचड़ी से वंचित	17
16 सितम्बर को आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना	18
यूरोप में रात में भी काम करना पड़ता है महिलाओं को	19
बलात्कार के एक चौथाई शिकार बच्चे हैं	20
महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी	21
मानदेय राशि में बढ़ोत्तरी	23
बाल मजदूरी की चिन्ता	23

कवर ऊपर : नर्सों का सम्मेलन जिला कसारगोड, केरल में
" नीचे : महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी सम्मेलन पूना में—8-9 मई 1992

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

समाज सेवा में लिप्त महिलाओं की स्थिति

विमल रणदिवे

नर्स व्यवसाय में बहुत भेदभाव है डॉ. गौरियन के एक लेख में कहा गया है कि नर्सों को यह प्रमाण पत्र देना होता है कि वे अविवाहित हैं। यही नहीं यदि उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है तो उन्हें यह प्रमाण-पत्र भी देना होता है कि वे चार-पांच वर्ष तक विवाह नहीं करेंगी। दिल्ली के एक अस्पताल में नर्सों को गर्भावस्था अवकाश प्रदान करने से इन्कार किया गया। दिल्ली, केरल, बम्बई व ऐसे ही अन्य स्थानों पर नर्सों के लिए आवास की गंभीर समस्या है। अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान के दो स्थल में खाली कमरे थे लेकिन प्रबंधकों ने उन्हें अविवाहित नर्सों को आवंटित नहीं किया। नर्सों के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी। सतत् आन्दोलन के बाद भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। नर्सों से सम्बन्धित मसलों पर प्रबंधकों का कठोर रवैया है। लेकिन जब नर्सों ने 1986-87 में 40 घण्टे काम (आई एल ओ सम्मेलन), मूल वेतन, वर्दी भत्ता, नर्स-मरीज अनुपात तथा चौथे वेतन आयोग के खिलाफ हड़ताल कर दी तो वे कुछ मांगों को मनवाने में सफल हो गयीं। उन्होंने 1988 के अस्पताल व शिक्षा संस्थान विधेयक की भर्त्सना की। नर्सों की हमारे प्रभाव वाली ऐसोसिएशन ने ए आई आई एम एस के प्रबंधकों को शोषण समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया।

स्टील उद्योग में नर्सों का सम्मेलन

स्टील प्लांट में 1300 नर्सें कार्यरत हैं, उनके लिए अच्छे वेतनमान, वर्दी भत्ते, धुलाई भत्ते, आवास व संबंधियों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने स्टील वर्कर्ज फेडरेशन के तहत अपना सम्मेलन किया व स्तिति में सुधार की मांग की।

केरल की नर्सों की पहलकदमी

केरल की नर्सें आठ घण्टे काम, नर्सों के लिए आवास व पदोन्नति अध्ययनरत-नर्सों के लिए स्टाइपेंड में वृद्धि तथा 24 घण्टे की रात्रि सेवा के एवज में एक दिन का अवकाश की मांग करते हुए 21-23 अगस्त को कसारगोड सम्मेलन में क्रुद्ध हो उठीं। केरल गवर्नमेंट नर्सेज ऐसोसिएशन का 32वां सम्मेलन पूरे कस्बे में आकर्षण का केन्द्र था। केरल के 14 जिलों से 400 नर्सें ध्वजारोहण के लिए पटाखों की आवाज के बीच एकत्र हुईं, जो कि केरल की विशेषता है। मैंने अब तक महिला उद्यमियों के जितने सम्मेलनों में भाग लिया है उनमें और इस सम्मेलन में कुछ अन्तर था। निश्चित रूप से नर्सें कामगार महिला आन्दोलन व हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन का भी एक हिस्सा है। वर्तमान में नर्सें 2-14 घण्टे काम कर रही हैं। क्या वे 40-60 बिस्तरों अथवा मरीजों की देखभाल कर सकती हैं? क्या वे मरीजों को वे दवाएं भी दे सकती हैं जो उपलब्ध नहीं हैं। और यदि कोई गलती हो जाये, जो कभी-कभार हो ही सकती है, तो प्रबंधकों व मरीजों का पहला निशाना नर्सें ही होती हैं।

अन्य राज्यों में अस्पतालों की स्थितियां केरल से बिल्कुल अलग नहीं हैं। 'एम्स' व सफदरजंग जैसे तथाकथित प्रतिष्ठित संस्थानों की ऐसी ही कहानियां हैं। देश में बढ़ते हुए राजनैतिक व सामाजिक तनाव के फलस्वरूप हत्या, दुर्घटनाएं, बलात्कार सांप्रदायिक दंगों आदि के कारण समस्या और बढ़ी है। डाक्टरों व मरीजों का अनुपात भी सही नहीं है।

नर्सों ने अपने विरोध कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। सम्मेल के आखिरी दिन सफेद साड़ियों के नर्सों ने जुलूस निकाला। उनके हाथ में सफेद झंडा था जिस पर 'हाथ में मशाल' का चिन्ह अंकित था। एक समिति का सर्वसम्मति से चयन किया गया जिसमें कॉ. विजयदेवी, अध्यक्ष व कॉ. थाम्बी, महासचिव बनीं। कॉ. वी एस अच्युतनन्दन, कॉ. एम के नारायणन व विमल रणदिवे जन सभा को सम्बोधित करने वाली प्रमुख वक्ता थीं। श्री कडन्नपल्ली रामचन्द्रन ने भी सभा को सम्बोधित किया।

कोलियरी में नर्सें

यह भी तथ्य है कि कोलियरी उद्योग की नर्सों ने हमारी फेडरेशन के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया व अनेक मांगें रखीं। कोलियरी में बिस्तरों, नर्सों, औषधियों की सख्त कमी है व नर्सों को असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जाता है। सीटू के अन्तर्गत फेडरेशन ने नर्सों को संगठित किया व एक मांग-पत्र तैयार किया।

लुधियाना के तेगबहादुर अस्पताल से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वहाँ समान काम के समान वेतन की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए आवास की सुविधा नहीं है तथा 4-6 नर्सों को एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता है जिसमें केवल दो बिस्तर होते हैं और उनके लिए भी उन्हें भुगतान करना पड़ता है। उनके लिए मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं है तथा खाने पकाने की भी सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में नर्सों को काम करना पड़ता है। पंजाब समन्वय समिति ने उनके लिए संघर्ष करने का कार्यक्रम बना लिया है।

ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध 1989 में दिल्ली में नर्सों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया गया था। विभिन्न राज्यों से बड़े-बड़े प्रतिनिधिमंडल आये व अपने मांग पत्र लाये। दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन 1990 में त्रिवेन्द्रम में हुआ। सम्मेलन में एक 30 सूत्रीय मांग-पत्र पर सहमति हुई।

मांगें अपूर्ण ही रहीं

हालांकि नर्सों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित करने के ऐसे प्रयास किये गये लेकिन उनकी प्रमुख मांगें फिर भी अधूरी रहीं। आवास की सुविधा नहीं है तथा 60-100 बिस्तरों को संभालना होता है। पदोन्नति के अवसर नहीं हैं तथा तबादले प्रबंधकों की मनमर्जी से होते हैं। डॉक्टरों व औषधियों की मात्रा आवश्यकता से बेहद कम है व अनेक मरीजों की मौत दवा उपलब्ध न हो पाने के कारण हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यदि राज्यों में समन्वय समितियाँ व नर्स ऐसोसिएशनें इन समस्याओं को नहीं उठायेंगीं तो कौन उठायेगा। पश्चिम बंगाल व केरल अपने मजबूत संगठनों के साथ संघर्ष में सबसे आगे हैं।

प्रमुख ऐसोसिएशन विशेषकर (ट्रेन्ड नर्सेज ऐसोसिएशन) नाइटेंगल वर्षगांठ बेहद श्रद्धा के साथ मनाती है। लेकिन क्या हमें उन्हें इतनी कड़ी मेहनत से मुक्ति दिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिये ताकि मरीज उन्हें बेहतर सेवा के लिए दुआएं दें।

नर्सों के लिए उच्चस्तरीय समिति

1987 में नर्सों के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गयी थी व उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुश्री सरोजिनी वरदप्पन उसकी अध्यक्ष थीं व समिति ने कुछ सुझाव भी दिये। नर्स ऐसोसिएशनों की समन्वय समिति को इन सिफारिशों पर विचार करना चाहिये व तथा अगर वे अपर्याप्त हों तो उन्हें संतोषजनक बनाया जाना चाहिये।

सीटू व अन्य फेडरेशनों व ऐसोसिएशनों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना चाहिये व लोकतांत्रिक व देश के हित में एक सशक्त आंदोलन तैयार करना चाहिये। नर्सें निश्चित् रूप से हमारे लोकतांत्रिक आन्दोलन का एक भाग हैं। उनका मरीज से एक विशेष रिश्ता होता है तथा वे उसके जल्द स्वस्थ होने के लिए जिम्मेदार होतीं हैं।

वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति इस बात को और भी आवश्यक बना देती है कि हम उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दें क्योंकि बढ़ती हुई हत्याओं, बलात्कारों, दंगों आदि की घटनाओं से उनके कंधों पर और जिम्मेदारी आ गयी है। यदि हम उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते व उनकी मांगों के लिए संगठित नहीं होते तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी ग्राई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

केरल गवर्नमेंट नर्सेज ऐसोसिएशन का 34वां राज्य सम्मेलन

वी.वी. प्रसन्ना कुमारी

जब यह निर्णय हुआ कि केरल गवर्नमेंट नर्सेज एसोसिएशन का सम्मेलन कानन्हनगढ़ में किया जायेगा तो संगठन के अनेक शुभचिंतकों को यह आशंका थी कि क्या यह छोटी सी घटना उल्लेखनीय बन पायेगी।

अप्रैल के शुरू में ही एक स्वागत समिति का गठन किया गया जिसमें विभिन्न श्रम संगठनों, जन संगठनों व राजनैतिक पार्टियों के नेता शामिल थे। के.जी.एन.ए. की महासचिव कॉ. के. पी. शांताकुमारी स्वागत समिति की संयोजक चुनी गयीं।

का. विमल रणदिवे का, 20 अगस्त की शाम कानन्हनगढ़ पहुंचने पर, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें लेने के लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष, सीटू के जिला सचिव, के.जी.एन.ए. के पदाधिकारी व अन्य नेता पहुंचे। उन्हें एक जुलूस के साथ स्वागत समिति के कार्यालय तक लाया गया।

21 तारीख को सुबह का. चेलम्मल द्वारा ध्वजारोहण करने के साथ ही सम्मेलन शुरू हुआ। उपस्थित प्रतिनिधियों ने नारे लगाये व शहीद वेदी पर फूल चढ़ाये। शहीद वेदी का निर्माण म्यूनिसिपल टाउन हॉल के सामने विशेष रूप से किया गया था। जहाँ कि सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उद्‌घाटन सत्र के पहले प्रतिनिधियों ने शपथ ली कि इस पवित्र उद्देश्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे।

का. विमल रणदिवे ने सम्मेलन का उद्‌घाटन किया। सदस्यों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा—

भारत में कामगार महिलाएं ठीक से संगठित नहीं हैं। बीड़ी, बागान उद्योग आंगनवाड़ी महिलाएं व नर्सें अपनी सेवाओं के लिए उचित वेतन प्राप्त नहीं कर पातीं। भारत में नर्सों की अनेक समस्याएं हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कठिन संघर्ष के बाद नर्सों को आवास, मरीज विस्तर अनुपात (6:1) की सुविधा दी गई। केरल में भी अनेक नर्सों को 14 घण्टे काम करना पड़ता है। इस कारण वे अपने पारिवारिक जीवन को पर्याप्त समय प्रदान नहीं कर पातीं, पति/पत्नी को शायद ही कभी एक ही शहर में नौकरी मिल पाती है।

उन्होंने नर्सों से अपील की कि वे शोषण व भेदभाव के खिलाफ संगठित हों। मजदूर वर्ग की ताकत को छिन्न-भिन्न करने के लिए साम्राज्यवादी ताकतें उन्हें सांप्रदायिक व जातिगत आधारों पर तोड़ने के प्रयास कर रही हैं। हमें इस ओर सतर्क रहना चाहिए व अपनी एकता को मजबूत बनाना चाहिए।

हालांकि हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ख़याल रखना चाहिए। अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते समय भी हमें समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए।

का. टी.के. बालम (राज्य कर्मचारियों के पूर्व नेता) केरल स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के सचिव पी.के. नारायणन, एन.एफ.पी.टी.ई. के वी.वी. प्रसन्नाकुमारी, तथा केरल गवर्नमेंट स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन के का. टी. सुब्रह्मण्यन ने सम्मेलन का अभिवादन किया।

भोजन अवकाश के बाद 'नयी आर्थिक नीति व स्वास्थ्य' विषय पर एक सेमिनार हुआ। इसमें डॉ. इकबाल ने अपना पर्चा पढ़ा। बी.ई.एफ.आई. के कॉ. ए. के. रमेश ने विचार विमर्श में योगदान दिया। का. पी. राघवन, विधायक भी उपस्थित थे।

22 तारीख की सुबह के.जी.एन.ए. के महासचिव का. पी. के. थम्पी ने संगठन की रिपोर्ट रखी जिन पर प्रतिनिधियों ने विचार किया।

नई राज्य समिति का चुनाव हुआ। उसमें का. टी. एन. विद्या देवी को अध्यक्ष पी.के. थांपी को महासचिव चुना गया। निवर्तमान अध्यक्ष का. चेलामल व उपाध्यक्ष वसुमति ने सदस्यों को संबोधित किया तथा नये पदाधिकारियों को चार्ज सौंपा।

सम्मेलन में आठ घण्टे के लिए संघर्ष करने का फैसला किया गया। सरकार से अपील की गयी कि वह सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाये। सम्मेलन में नियम के खिलाफ रिश्वत लेकर

तबादले किए जाने पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए माँग की गयी कि तबादले व पदोन्नतियाँ वरिष्ठता के आधार पर ही हों, सरकार से मांग की गयी कि नर्सों के वर्तमान लाभ किसी भी हालत में नहीं छीने जाने चाहिए। एक प्रस्ताव पास करके सम्मेलन ने मूल्य-वृद्धि व सांप्रदायिक दंगों के प्रति सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की भर्त्सना की।

इसके बाद प्रतिनिधियों ने जन सभा के स्थान तक मार्च किया। सैंकड़ों नर्सें सफेद कपड़ों में नारे लगा रही थीं। राह में अनेक संगठनों, जन संगठनों, आदि उनका अभिनन्दन किया।

कॉ. वी.एस. अच्चुतननन्दन ने जन सभा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नर्सों की माँगें तभी पूरी हो सकती हैं जब वामपंथी शक्तियाँ सत्ता में हों। 1957 तक नर्सें मातृत्व से वंचित थीं। यह पहली कम्युनिस्ट सरकार थी जिसने नर्सों को विवाह का अधिकार दिया। साप्ताहिक अवकाश की सुविधा भी 1967 के वामपंथी सरकार ने ही दिलवाई। उनकी वर्दी 'साड़ी' करने का श्रेय वामपंथी सरकार को ही जाता है। वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार उनके वर्तमान लाभों को छीनने का प्रयास कर रही है। और नर्सों को इस ओर से सचेत रहना चाहिए। कां. विमल रणदिवे, काडनपल्ली, रामचन्द्रन व का. ए.के. नारायणन भी इस अवसर पर बोले। अध्यक्षता का. विजय देवी ने की। महासचिव का. पी.के. थंपी ने स्वागत भाषण दिया व संयोजक के.पी. शांता कुमारी ने धन्यवाद दिया।

कृष्ण जयन्ती के अवसर पर भाजपा व उसके अन्य सांप्रदायिक सहयोगी सदैव बालगोकुल कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस बार सम्मेलन के कारण उनका कार्यक्रम शून्य ही रहा!

ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने पर सी.सी.एस. लिमिटेड से महिला कर्मचारियों की छंटनी

पोर्ट ब्लेयर की उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेट (सी सी एस) में कार्यरत 25 महिला कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। यह सहकारी भण्डार कांग्रेस (ई) के नियन्त्रण में चलता है और महिला कर्मचारियों की छंटनी से कांग्रेस आई का तथाकथित मजदूर वर्ग हितैषी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। सी.सी.एस लिमिटेड के प्रबन्ध में उन 25 महिला कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं है जो पिछले आठ-दस वर्षों से पैकिंग विभाग में कार्यरत थीं। इन महिला कर्वचारियों के खिलाफ यह कार्यवाही इसलिए की गयी क्योंकि उन्होंने नवनिर्मित अण्डमान और निकोबार कोआपरेटिव वर्कर्स यूनियन (सीटू) की सदस्यता ग्रहण की थी और वे अपनी अर्से से अटकी पड़ी कुछ माँगों को पूरा कराने के लिए संगठित हो रही थीं। उन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा था और पिछले कई वर्षों से उनका शोषण जारी था। बी चन्द्रचूड़न के नेतृत्व में यूनियन ने यह मसला श्रम विभाग के सामने उठाया था। श्रम विभाग ने सी.सी.एस. लिमिटेड को तुरन्त न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

संस्थान के प्रबन्ध निर्देशक को, जो, अपने काम करने के ढंग के लिए कुख्यात हैं, यह बात बहुत बुरी लगी कि कर्मचारियों ने एक ऐसी यूनियन की सहायता से अपने हक हासिल कर लिए, जो उसकी विचार धारा के विपरीत है, इसलिए उसने बदला लेने के लिए इन कर्मचानियों को संस्थान से बर्खास्त कर दिया।

इसके खिलाफ यूनियन ने अण्डमान जिले के उपायुक्त समेत प्रशासन के पास अनेक शिकायतें दर्ज करायीं लेकिन उपायुक्त, जो कि इस संस्था के भूतपूर्व चेयरमैन है प्रशासन ने अभी तक इन कर्मचारियों को काम पर लेने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। ये कर्मचारी अपनी छंटनी के खिलाफ पिछले दो हफ्तों से उपायुक्त के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं।

सी.सी.एस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक संस्था के चेयरमैन (उपायुक्त) के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

जर्मनी के समक्ष एकीकरण की असलियत खुली

जबकि एक ओर जर्मनी ने अपने एकीकरण की पहली वर्षगांठ मनाई तभी दूसरी ओर एकीकरण के प्रतीक बर्लिन में 20,000 प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, और वे खुशियां मनाने के लिए नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन करने को एकत्र हुए।

प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती हुई बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति तथा कल्याण अनुदानों के रोके जाने के मुद्दों को उठाया।

पूर्वी जर्मनी में घटता हुआ उत्पादन विरोध का कारण है। पूर्ववर्ती लोकतांत्रिक जर्मनी में 1990 में सकल घरेलू उत्पादन 16.6 प्रतिशत गिर गया तथा अनुमान है कि वर्तमान वर्ष में यह 7.2 प्रतिशत और गिरेगा। पिछले वर्ष जुलाई के आरम्भ में आर्थिक एकीकरण के समय के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन एक चौथाई रह गया है।

एक ओर पूर्वी जर्मनी के पुराने उद्योगों में प्रतिस्पर्धी उपकरण, उत्पाद-भिन्नता व गुणवत्ता की कमी है तो दूसरी ओर नये स्थापित उद्योगों का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। जर्मनी के चांसलर हेल्मुट कोल के अनुसार 1990 से नये स्थापित प्रतिष्ठानों की संख्या 100,000 तक पहुंच गयी है, लेकिन इनमें से अधिकतर काफी छोटे हैं व इनसे केवल 10 लाख लोगों को ही रोज़गार मिल पाता है।

पूर्वी जर्मनी बेरोज़गारी की समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। उत्पादन में हुई भारी गिरावट व अनेक सरकारी प्रतिष्ठानों के बन्द हो जाने के कारण सितम्बर तक बेरोज़गारों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गयी। यदि अर्ध-रोजगार वाले तथा जबरन जल्दी सेवानिवृत्त किए जाने वालों को भी गिना जाये तो बेरोज़गारों की संख्या 30 लाख तक पहुंचती है। परिणामस्वरूप पूर्वी जर्मनी के लगभग 78 प्रतिशत लोगों का मानना है कि आर्थिक स्थिति खराब है।

इसके अतिरिक्त 'हनीमून' के बाद पूर्व व पश्चिम की खाई बढ़ गई। एक सर्वेक्षण के अनुसार 45 प्रतिशत लोगों का खयाल है कि एकीकरण के बाद से पूर्व व पश्चिम वालों के सम्बन्ध मजबूत हुए हैं व उनमें घनिष्ठता आयी है। जबकी 50 प्रतिशत का खयाल है कि उनमें दूरी बढ़ी है। पश्चिमी भाग में अधिकतर लोग बढ़े हुए बोझ से परेशान हैं व उनमें से 62 प्रतिशत का मानना है कि कर-वृद्धि का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

सरकार की आर्थिक नीति पर भी अनेक दबाव हैं। जर्मनी की सरकार ने आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने व असंगतियों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। 1991 में सरकार ने 160 बिलियन मार्क (यानि सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 5 5 प्रतिशत) उधार लिए। 1983-89 में सरकार ने वित्तीय अनुशासन द्वारा घाटे को जी. एन. पी. के एक प्रतिशत से घटाने में जो सफलता प्राप्त की थी उसका महत्व समाप्त हो गया है। एकीकरण से पहले सरकार ने दो स्तरों पर कर राहत देने का निर्णय किया था, लेकिन वास्तव में 1990 में जर्मनी के लोगों की आय का 51.5 प्रतिशत कर में जाता है। 1991 में अतिरिक्त वेतन शुल्क, गैस-कर व सामाजिक बीमा कर भी वसूले गये। 1992 का अनुमानित घाटा 49.9 बिलियन मार्क है लेकिन वास्तव में इसके 130 बिलियन से अधिक हो जाने की संभावना है। संघीय वित्त मंत्री थिओ वैंगल ने कहा कि उन्हें तो जर्मनी के हैनूवर विश्व एक्सपोजिशन आयोजित करने की क्षमता व सन् 2000 में बर्लिन ओलम्पिक के लिए आवेदन करने के बारे में भी सन्देह है।

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन ग्रेगोट ग्यासी जिन्होंने प्रदर्शन का आयोजन किया था, ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उपर्युक्त तथ्य तथा विदेशियों से अलगाव की बढ़ती हुई भावना एकीकरण की देन हैं।

इसके अलावा पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के लोगों की आय का अन्तर भी असंतोष का एक कारण हैं। पूर्वी जर्मनी के मजदूरों की औसत आय पश्चिम जर्मनी वासियों की आय का 47 प्रतिशत है। बैंक व बिजनस क्लर्कों की आय 45 प्रतिशत व कम्पनी कर्मचारियों की आय अमीर पड़ोसियों की आय का केवल 40 प्रतिशत है।

30 लाख बेरोजगारों के लिए जीना दूभर हो गया है। आवासीय दरों में 5 गुना वृद्धि से पता चलता है कि अनेक पूर्व जर्मनी वासियों को समाजवादी ढांचे के समय की अपनी बचत पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

प्रशासन द्वारा पूर्वी जर्मनी वासियों के साथ किया जाने वाला भेद-भाव भी असहनीय है। पूर्ववर्ती लोकतांत्रिक जर्मनी के कुछ ही कर्मचारी सरकारी पदों पर हैं जबकि मंत्रालय के अधिकतर पद पश्चिम जर्मनी के राजनीतिज्ञों द्वारा हथिया लिये गए हैं। पूर्वी जर्मनी के बुद्धिजीवियों का आत्म सम्मान व आय दोनों ही आहत हुए हैं।

बर्लिन की दीवार के गिरने के कारण पूर्व के लोग पश्चिम जर्मनी की वस्तुओं की स्वतंत्र खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी का दबाव व भेदभाव एक और दीवार बन गया है जो अभी भी बरकरार है। □

अपने हित साधने के लिए सिलाई केंद्र बंद किए गए गैस पीड़ित महिलाओं का सम्मेलन संपन्न

भोपाल गैस पीड़ित महिलाओं के सिलाई केंद्रों पर काम करनेवाली, अब बेरोजगार बना दी गई, महिलाओं का एक कन्वेंशन आज रेलवे के कल्याण केंद्र में स्थित सिलाई केंद्र में संपन्न हुआ।

सम्मेलन का उद्घाटन सीटू की अखिल भारतीय सचिव श्रीमती विमल रणदिवे ने किया। अपने भाषण में उन्होंने सिलाई केंद्रों को बंद करने के लिए पटवा सरकार और भाजपा के निहित स्वार्थों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सिलाई केन्द्रों पर होने वाला काम आज भी कायम है मगर अब उसे ठेके पर कराया जायेगा, जिससे महिलाओं को और अधिक शोषण होगा और ठेकेदारों के मुनाफे बढ़ेंगे। उन्होंने सिलाई केन्द्रों को खोले जाने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि सी. आ. टी. यू. इस सवाल पर दिल्ली में भी प्रदर्शन और धरना आयोजित करेगी। आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा लड़ी गई लड़ाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज लंबे संघर्ष के बाद वेतनवृद्धि कराने में आंगनवाड़ी महिलायें सफल हुई हैं मगर आंदोलन अभी भी जारी है।

श्रीमती रणदिवे ने आशा व्यक्त की कि अधिकतर गैस पीड़ित महिलायें एकजुट होंगी और अपने संघर्ष की दम पर सफलता प्राप्त करेंगी।

सीटू के राज्य महासचिव एस. कुमार ने भी सम्मेलन को एक अच्छी शुरूआत बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा श्रमिकों कर्मचारियों से छीने जा रहे रोजगार और किए जा रहे दमन के विरोध में हम सबको मिलकर हिस्सेदारी करनी चाहिए।

श्रीमती माधुरी मिश्रा की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में गैस पीड़ित महिलाओं की दिक्कतों का हवाला यूनियन की महासचिव हाजरा बी ने रखा और कहा कि घर में बैठकर सफलता नहीं पाई जा सकती। उन्होंने पिछले दिनों गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर द्वारा गैस पीड़ित महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की भी आलोचना की।

श्रीमती नीलम गुप्ता ने पिछले दिनों यूनियन द्वारा की गई गतिविधियों व उपलब्धियों की चर्चा की और एकता को बनाकर रखने का आह्वान किया। सम्मेलन को अफरोज जहां और श्रीमती सारंगा ने भी संबोधित किया। एस. एफ. आई. के छात्र नेता संतोष ठाकुर ने सम्मेलन को समर्थन दिया। शहर के अन्य कर्मचारी संगठनों की ओर से सम्मेलन को शुभकामनायें कर्मचारी नेता गौरी शंकर कुरील ने दी। बी एच. ई. एल. के कर्मचारी नेता श्री जैदी ने भी अपनी ओर से समर्थन ज्ञापित किया।

कन्वेशन ने 28 सितंबर को भोपाल में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सेदारी के बाद दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला लिया है।

शिमला एल आई सी महिलाओं का पहला सम्मेलन

एन जेड आई ई ए, शिमला क्षेत्र (हिमाचल) का पहला महिला सम्मेलन 6 सितम्बर, 1992 को शिमला में हुआ। सम्मेलन में शिमला क्षेत्रीय कार्यालय व 13 ब्रांचों से लगभग 70 महिला प्रतिनिधियों व प्रेक्षकों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉ. चंचल बिष्ट ने की तथा ए आई डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी की सचिव कॉ. विमल रणदिवे सम्मेलन की प्रमुख अतिथि थीं।

एन जेड आई ई ए की शिमला डिवीजन के अध्यक्ष कॉ. वी एन पाठक ने कॉ. विमल रणदिवे सहित सभी प्रतिनिधियों व प्रेक्षकों का स्वागत किया। कॉ. रंजना नेगी ने सम्मेलन का संचालन किया। विचार-विमर्श में आठ महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया व महिलाओं की समस्याओं को उठाया। सम्मेलन में उठायी गयी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं :—

1. एल आई सी से गर्भावस्था शर्त हटायी जानी चाहिये।

2. महिला प्राथियों से नियुक्ति के समय शर्मिंदगी भरे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये।

3. महिलाओं को डी ओ व सब स्टाफ के रूप में नियुक्त करने में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये।

4. नियुक्ति व पदोन्नति के समय महिलाओं को उनके मनपसन्द स्थान पर ही नियुक्त किया जाना चाहिये।

5. कामगार महिलाओं के लिए कामगार महिला आवास की व्यवस्था होनी चाहिये।

6. एल आई सी में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा होनी चाहिये।

7. महिला कर्मचारियों को कॉमन-रूम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

8. गर्भावस्था अवकाश को बढ़ाकर छः माह का किया जाना चाहिये।

इसके बाद एन जेड आई ई ए, शिमला के क्षेत्रीय सचिव कॉ. ए सी चौहान ने सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्गों में बंटे इस समाज में महिलाओं की मांगों का संघर्ष मेहनतकश वर्ग के संघर्ष से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। अतः हमारी महिला साथियों को समाज के अन्य भागों में भी महिलाओं को संगठित करने के लिए आगे आना चाहिये, उन्होंने आश्वस्त कराया कि सम्मेलन में उठायी गयी सभी मांगों को वाजिब स्तर पर रखा जायेगा।

सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों/विभागों में असंगठित मजदूरों को संगठित करने के प्रस्ताव के अलावा दहेज, सती प्रथा व महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए गये।

सम्मेलन को मुख्य अतिथि कॉ. विमल रणदिवे ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने देश भर में महिलाओं की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने देश के महिला आन्दोलन के इतिहास को आन्दोलन व वर्तमान स्वरूप व सामने मौजूद चुनौतियों से जोड़ा। उन्होंने कामगार महिलाओं को फेमिनिस्ट आन्दोलन का शिकार होने के खतरे के प्रति आगाह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्गों में बंटे हुये इस बुर्जुआ, जमींदारी समाज में पुरुषों व महिलाओं, दोनों की ही अपनी समस्याएं हैं व दोनों का ही शोषण हो रहा है। कामगार महिलाओं की समस्याएं सामंतवादी दृष्टिकोण की उपज है। कॉ. विमल रणदिवे ने इस श्रम संगठनों में महिलाओं की भागेदारी की आवश्यकता पर भी बल दिया व श्रम-संगठनों से अपील की कि वे महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दें। यही नहीं उन्होंने महिलाओं के पर्याप्त राजनीतिकरण पर भी बल दिया ताकि वे नयी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के पीछे साम्राज्यवादी चाल को समझ सकें, जो उनके हितों पर सीधे चोट करती हैं।

अंत में उन्होंने प्रतिनिधियों, प्रेक्षकों व एन जेड आई ई ए, शिमला, की डिवीजनल कमेटी को महिला सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी व आशा व्यक्त की हिमाचल प्रदेश में महिला आन्दोलन को मजबूत बनाने में यह सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा।

सम्मेलन में यू जेड आई ई ए, शिमला डिवीजन, की ग्यारह सदस्यीय उप-समिति का भी चुनाव किया गया जिसकी अध्यक्ष व संयोजक क्रमशः कॉ. चंचल बिष्ट व रंजना नेगी होंगी। बाद में कॉ. चंचल बिष्ट के धन्यवाद भाषण के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

श्रम संगठन : महिलाएं आगे क्यों नहीं हैं ?

["श्रम संगठन-महिलाएं आगे क्यों नहीं हैं" विषय कामगार महिलाओं तथा श्रमिक आन्दोलन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम उस विषय पर 1979 के अपने पहले सम्मेलन से विचार कर रहे हैं और यह विषय अभी भी जीवंत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बुलेटिन में छपा निम्नलिखित लेख इस विषय पर प्रकाश डालता है : हम इस लेख के कामगार महिलाओं के लिए शिक्षाप्रद होने की उम्मीद करते हुए 'कामकाजी महिला' की पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं तथा यदि संभव हो तो लेख भेजें। —सं०]

यह एक जाना-माना तथ्य है कि महिलाएं हिम्मतवर, दृढ़ व जुझारु हैं; वे अमूर्त सिद्धांतों में उलझने की बजाय समस्याओं के ठोस समाधान का प्रयास करती हैं। वे अपने श्रम संगठनों को नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। फिर भी वे अक्सर, नेतृत्व के स्तर पर अनुपस्थित होती हैं। ऐसा क्यों है ? वर्तमान समय में श्रम संगठनों के नेतृत्व में महिलाओं की भागेदारी को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है।

'इंटरनैशनल लेबर रिव्यू' में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है जोकि पुरुषों व महिलाओं में काम की समानता के विकास तथा श्रमिक आन्दोलन में नयी जान फूंकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेखक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की श्रमिक वकील ऐनी ट्रेबिल्कॉक का कथन है कि विश्व भर में महिलाएं श्रम संगठनों में नेतृत्व के स्तर पर पूरी तरह भागेदारी नहीं करतीं। लेकिन यूनियनों व फेडरेशनों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रयास करने आरम्भ कर दिये हैं।

श्रम संगठनों में महिलाओं की पूरी भागेदारी में अनेक जानी-मानी बाधाएं आतीं हैं। महिलाओं की 'वास्तविक' भूमिका के बारे में एक बधी बंधाई धारणा से महिलाओं को हतोत्साहित करने व कभी-कभी उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाये जाने जैसे भेद-भाव का जन्म हो सकता है। कुछ संगठनों ने ऐसे नियम व शर्तें बनायी हुई हैं जो महिलाओं को आगे आने से रोकती हैं। महिलाओं पर घर-परिवार तथा नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी स्वतः ही श्रम संगठनों में उनकी भागेदारी में बाधा बन सकती है। और वर्षों के ऐसे परम्परागत व सांस्कृतिक प्रभाव के कारण महिलाएं खुद अपनी क्षमताओं पर से आत्म-विश्वास खो सकती हैं।

कुल मिलाकर श्रम संगठनों में महिलाओं की भागेदारी में आने वाली बाधाओं को समय, समर्थन तथा प्रशिक्षण की कमी कहा जा सकता है।

मलेशिया, कनाडा, ब्रिटेन व स्विट्ज़रलैंड जैसे अनेक देशों में श्रम संगठनों में महिलाओं की भागेदारी में आने वाली बाधाओं के बारे में पुरुष व महिला नेताओं के दृष्टिकोण में गंभीर अन्तर पाये गये हैं। समयाभाव के कारण महिलाएं लम्बी-लम्बी बैठकों में अरुचि का अनुभव करु सकती हैं।

कनाडा में अध्यनों से पता चला है कि काम के समय के बाद खासकर रात की बैठकों में महिलाओं की भागेदारी "बेहद कम व हतोत्साहित करने वाली" होती है। इससे पता चलता है कि यदि बैठकों के समय को नये सिरे से संयोजित किया जाये तथा आवागमन व बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाये तो महिलाओं को काफी संख्या में इस ओर आकर्षित किया जा सकता है।

ऐनी ट्रेबिल्कॉक का मानना है कि "महिलाओं को लामबन्द किया जाना श्रम संगठनों के अस्तित्व को बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।" उनका नया स्टूडियो श्रम संगठनों द्वारा किए गए ऐसे ढांचागत व संगठनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है जिनसे महिलाओं को नेतृत्व में आने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। ये परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं : नियमित महिला सम्मेलन, महिला समितियों अथवा समानता समितियों को मजबूत बनाना, महिला विभाग अथवा समानता अधिकारी, कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करना व चुनाव नियमावली में परिवर्तन करना व मजदूरों की शिक्षा व कामकाज के प्रति नया दृष्टिकोण।

आई सी एफ टी यू व ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेडयूनियन्स जैसे संगठन नियमित रूप से महिलाओं की बैठकें कर रहे हैं। "महिला नेताओं को आगे आने में सहायता करने वाले ढांचागत प्रस्ताव भी महिला सम्मेलन में रखे जाते हैं व बाद में आम सभा में इनको अन्तिम रूप दिया जाता है। नियमित महिला सम्मेलनों में ऐसे मुद्दों पर भी विचार होता है जो सभी के लिये महत्वपूर्ण हैं लेकिन जिनका महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

श्रम संगठनों में महिला समितियाँ अब विकासशील देशों में भी उतनी ही प्रचलित हो रहीं हैं जितनी औद्योगिक देशों में। लातीनी अमरीका में ऐसी समितियाँ पुरुषों द्वारा कुछ अन्य मुद्दों के समर्थन में महिलाओं को आगे लाने के लिए बनायी गयीं लेकिन जल्द ही ये समितियाँ महिलाओं की समस्याओं को उठाने वाले मंच में तब्दील हो गयीं। इन महिला समितियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे महिलाओं की रुचि के कुछ विशेष क्षेत्रों में महिलाओं के और विकास का साधन बनतीं हैं।

हालांकि अध्ययन में इस ओर भी इशारा किया गया है कि ऐसे अलग ढांचों से यह खतरा भी है कि उससे मुद्दों व सम्बद्ध सदस्यों के अलगाव को प्रकृति जन्म ले सकती है व कार्यकारिणी में महिलाओं के स्थान आरक्षित करने से उन्हें केवल दिखावे के लिए कार्यकारिणी में लेकर निर्णय लेने व समझौता बातचीत से दूर रखा जा सकता है। वैसे स्थान आरक्षित करने का अनुकूल प्रभाव पड़ा है तथा अब आई सी एफ टी यू से जुड़े एक तिहाई राष्ट्रीय श्रम संगठनों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं।

और अन्त में महिलाओं को श्रम संगठनों में नेताओं के रूप में भागेदारी को प्रोत्साहित करने वाले मजदूर शिक्षा प्रयासों में अब सिर्फ जनता को सम्बोधित करने, समझौता बातचीत आदि के बारे में ही नहीं बल्कि विभिन्न मुद्दों, खासकर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनकी राजनैतिक चेतना को ऊपर उठाने के प्रयास भी शामिल होते हैं। यह उपाय पुरुष व महिला सदस्यों द्वारा महिलाओं को नेता के रूप में स्वीकार किये जाने का रास्ता खुलता है, अतः ये प्रयास केवल महिलाओं तक सीमित नहीं होने चाहिये। मजदूर शिक्षा की ऐसी ही सलाह फिलिपीन से मिलती है: "महिलाओं को शक्तिशाली होने की चुनौती दें और पुरुषों को सदस्य होना सिखायें।

श्रम संगठनों में फैसले करने के स्तर पर महिलाओं को पूरी भागेदारी की स्थिति प्राप्त करना अभी शेष है। "यह देखते हुए श्रम संगठनों की बढ़ती हुई संख्या से निष्कर्ष निकलता है कि एक नयी रणनीति की आवश्यकता है तथा महिलाओं को नेतृत्व में स्थान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। सभी संगठनों को इन रणनीतियों का अनुसरण करना चाहिये। लेकिन निश्चय ही, संगठन की आवश्यक आर्थिक व राजनीतिक मदद करनी चाहिये।

अनेक देशों में महिला मजदूर नेताओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है। बहरहाल अधिक संख्या का अर्थ आवश्यक रूप से अधिक प्रभाव नहीं होता। ट्रेबिल्कॉक का निष्कर्ष है कि कुल मिलाकर श्रम संगठनों के कामकाज में महिलाओं की भागेदारी व उससे जुड़ी समस्याओं आदि का सही आकलन किया जाना अभी बाकी है। यह तो निश्चित् ही है कि निर्णय के स्तर पर अधिक संख्या में महिलाओं के होने पर वे संगठन महिलाओं से विशेष रूप से जुड़े मुद्दों में खास रुचि लेंगे। और इससे महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिये आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतिभाशील पुरुषों व महिलाओं के बड़े समूह से लैस होने पर श्रम संगठन अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे।

चूंकि महिलाओं की भागेदारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्राथमिकता क्षेत्र है अतः 1992-93 के दौरान रोजगार में महिलाओं की भागेदारी पर एक अंतर्विभागीय परियोजना चलाई जा रही है। इसका एक कार्यक्रम श्रम संगठनों में महिलाओं की भागेदारी पर केन्द्रित है व दूसरा सामूहिक समझौता बातचीत व समानता पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इन सामर्थ्य व अति महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए श्रम संस्थाओं व अन्य स्रोतों के साथ काम करेगा।

बम्बई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन

किरन मोघे

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका संघ के आह्वान पर आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन (महाराष्ट्र) की 2500 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 16 सितम्बर, 1992 को महाराष्ट्र राज्य सचिवालय तक मार्च किया। हालांकि एक दिन पहले समाचारपत्रों में प्रधान मंत्री श्री पी वी नरसिंह राव द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में 2 अक्टूबर, 1992 से क्रमश: 125/- रु. व 90/- रु. की वृद्धि की घोषणा प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस मामूली वृद्धि का उन प्रदर्शनकारी महिलाओं की प्रेरणा व जुझारू क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो 16 तारीख की सुबह बम्बई में उन्हें स्वयंसेवक समझने वाली सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए उमड़ पड़ीं। उनमें से अनेक ने दोहराया कि हमारी प्रमुख मांग अब भी अधूरी है कि हमें पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी स्वीकार किया जाये तथा निश्चित वेतनमान व अन्य लाभ प्रदान किए जाएं।

महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में मई '92 से क्रमश: 100/- रु. व 75/- रु. की वृद्धि की है। लेकिन इसे वृद्धि नहीं माना जा सकता क्योंकि राज्य सरकार ने उन पर आंगनवाड़ी केन्द्र में एक घण्टा अतिरिक्त कार्य (4 से 5 घंटे) करने तथा 6 से 15 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े रखने की जिम्मेदारी थोप दी है।

चूंकि इस बात की पूरी सम्भावना है कि राज्य सरकार केन्द्रद्वारा मानदेय में की गयी वृद्धि को राज्य सरकार की वृद्धि से समायोजित कर दे अत: संगठन के प्रतिनिधि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्री बशीर केदार तथा समाज कल्याण मंत्री रामदास अग्रवाल से मिलीं व उन्हें बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारी तब तक संतुष्ट नहीं होंगी जब तक उन्हें केन्द्र द्वारा की गयी वृद्धि का पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं होता।

दोनों मंत्रियों की प्रतिक्रिया अनुकूल प्रतीत हुई व उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मामले को मुख्यमंत्री सुधाकर राव नायक के समक्ष उठायेंगे। संगठन ने निर्णय किया है कि वह इस मुद्दे को उठाना जारी रखेगा व अगले कुछ दिनों में एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले को मुख्य मंत्री के समक्ष उठायेगा।

सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किये जाने के अतिरिक्त मांग-पत्र में त्यौहार भत्ते व बैठक भत्ते के रूप में अतिरिक्त भुगतान की मांग भी शामिल है। आंगनवाड़ी केन्द्र से दूरी से अप्रभावित किसी भी दूर दराज के इलाके में बैठक के लिए सहायिकाओं का साथ देना, सहायिकाओं को यात्रा भत्ता व महंगाई भत्ता देना, प्रशिक्षण अवधि में दिये जाने वाले स्टाइपंड में वृद्धि, किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान तथा निरीक्षण-पदों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता की भी मांग की गयी।

प्रतिनिधि मंडल को सरकारी अधिसूचना की एक प्रति मुहैया करायी गयी जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के नियम स्पष्ट किये गये थे तथा स्थानीय चयन बोर्डों से कहा गया था कि सुपरवाइजरों की नियुक्ति के समय आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को प्राथमिकता दें। तथापि, ऐसा माना जाता है कि इन चयन बोर्डों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पाता। अत: संगठन ने निश्चय किया है कि वह स्थानीय चयन बोर्डों को समाप्त करके आई.सी.डी.एस. सुपरवाइजरों को सीधे नियुक्त करें जिसमें 75 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं के लिए आरक्षित हों।

मंत्री महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं डाला जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने शहरी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की अस्थायी नियुक्ति की ओर भी समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इन कर्मचारियों को 29 दिन के लिए आदेश दिया जाता है तथा माह के आखिरी दिन सेवा भंग होती है। व्यहार में उन्हें लगातार काम करना पड़ता है तथा दूसरे शब्दों में सरकार उन्हें एक दिन के अवकाश का वेतन दिए बिना उनकी सेवाओं का लाभ उठाती है। कुछ शहरी परियोज-

नाओं में यह शोषक प्रक्रिया दो वर्ष से अधिक से चल रही है। मंत्री महोदय ने वादा किया कि वे मामले को देखेंगे तथा व इस स्थिति को समाप्त करेंगे।

रैली में महाराष्ट्र के दूर-दराज के इलाकों से महिलाओं ने भाग लिया, उनमें से कुछ तो बम्बई पहुंचने से पहले दो दिन से अधिक की यात्रा की। चन्द्रपुर, गडेहिरोली, पारभानिल, अमरावती, नागपुर, पुणे, सांगली व सतारा से महिलाएं आयीं।

प्रतिनिधि मंडल में राज्य सीटू अध्यक्ष का. प्रभाकर सांजगिरि, संगठन अध्यक्ष का. अहिल्या रांगनेकर, महासचिव किरण मोगे व दालिम्बी वैद्य (गाधिरोह), ज्योति लोडालिवर (चन्द्रपुर) एम. कोर्नालिस (नागपुर), शांता शिन्दे व राजनीपिसल (पुणे), कांता भसारी (अमरावती) तथा शोभा पराटकर (परभानी) विभिन्न जिला समितियों की सेविकाएं व सहायिकाएं तथा संगठन की राज्य समिति से सदस्य शामिल थे।

मार्च का अन्त एक जन-सभा में हुआ जिसे संगठन की राज्य कोषाध्यक्ष विनय देशपांडे, संगठन सचिव शुभाशमीम जिलों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों राज्य सीटू के नेताओं, जनवादी महिला समिति, एस. एफ. आई. व डी.वाई.एफ.आई. के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्यक्रम

10 अगस्त, 1992 को शाम 4.00 बजे सीटू के कार्यालय में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में 1. कॉ. हुकुम सिह (एन.एफ.टी.यू.) 2. का. सुशीला वर्मा (एन.एफ.टी.यू.) 3. कॉ. फ्रांसिस (एटक) 4. कॉ. नीना राय (सीटू) 5. कॉ. सुमन सुल्तान (एच.एम.एस.) 6. कॉ. किरण अरोड़ा (एच.एम.एस.) 7. कॉ. बाश्तोष रॉय (सीटू) 8. कॉ. ब्रजपाल सिंह (ए.बी.ए.के.) थे।

कॉ. विमल रणदिवे (संयोजक) ने रिपोर्ट के अनुसार आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में हुई वृद्धि के बारे में बताया। महाराष्ट्र में सेविकाओं के मानदेय में 100/- तथा सहायिकाओं के मानदेय में 75/- रु. की वृद्धि की गयी है। पांडिचेरी में 50/- रु. की वृद्धि की गयी है व साथ में काम के घण्टे भी बढ़ा दिये गये है। तमिलनाडु में 20/- की वृद्धि हुई है। इसके बाद उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति की मांगों के बारे में महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। वहां से यही उत्तर प्राप्त हुआ कि आठवीं योजना का इन्तजार करिये तभी हम कुछ कर सकेंगे।

भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में दो सुझाव थे। एक सुझाव यह था कि संसद के अधिवेशन के दौरान प्रधान मंत्री निवास पर धरना व क्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाये व दूसरा सुझाव सितम्बर में अथवा संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय के अनुसार एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल। सभी श्रम संगठनों के लम्बे विचार-विमर्श के बाद निम्न फैसले किये गये :

1. 16 सितम्बर को सभी राज्यों की राजधानियों में आंगनवाड़ी यूनियनों द्वारा जहां तक संभव हो विधान सभा के समक्ष विशाल धरना दिया जाये।

धरने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाये व पर्चे बांटे जायें ताकि मांगों के औचित्य के बारे में लोगों को भरोसा दिलाया जा सके। इसी के साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए भी प्रचार किया जाये।

2. नवम्बर माह में किसी समय जब संसद का सत्र आरंभ हो तब एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल का भी फैसला किया गया। यदि हड़ताल शरदकालीन सत्र आरंभ होने के दूसरे दिन किया जा सके तो बेहतर होगा।

धरने के कार्यक्रम के बाद 24 सितम्बर को 4.00 बजे एटक कार्यालय, केनिंग लेन, नई दिल्ली में संयुक्त संघर्ष समिति की पुन: बैठक हो जिसमें काम का लेखा-जोखा लेने के साथ-साथ हड़ताली की तारीख नियत करने उसकी तैयारियों के बारे में विचार किया जाये।

इस बीच संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिलकर उन्हें विभिन्न मंत्रियों द्वारा किये गये वादों के पूरे न होने पर श्रम संगठनी के विचारों से अवगत कराये।

5 मार्च की वोट क्लब रैली के बारे में विमल रणदिवे का मत था कि इस एकता को बरकरार रखना चाहिये व इसके लिए सबको अनुशासन व सहनशीलता का परिचय देना चाहिये।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

आंगनवाड़ी फेडरेशन, विजयवाड़ा की कार्यकारी समिति का एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसला

5 मार्च के जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम का आकलन करने व भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स फेडरेशन की 30 अगस्त '92 को विजयवाड़ा में बैठक हुई। 5 जून '92 को कार्यकारी समिति की बैठक के बाद के समय में जिसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह महसूस किया गया कि नरसिम्हा राव सरकार की उदासीनता को देखते हुए अब हड़ताल का समय आ गया है। इस दौरान एक बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि :

(क) 14 सितम्बर को राज्य सरकारों को आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगें मानने के बारे में चेताने के लिए राज्य स्तर पर धरने दिये जायेंगे।

(ख) अपनी मांगों के समर्थन में संसद के शरदकालीन सत्र के दूसरे दिन एक दिन की हड़ताल के लिए प्रचार अभियान चलायेंगे।

तमिलनाडु से रिपोर्ट मिली कि 21 अगस्त, 1992 को लाखों मजदूर जेल भरो आन्दोलन के लिए जा रहे थे। सं.सं.स. का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से मिला जिन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रस्ताव उनको अग्रेषित करेंगे आंगनवाड़ी महिलाओं को कुछ अंतरिम भुगतान कर दिया जायेगा। विजयवाड़ा में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली व अन्य राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये जिससे कार्यसमिति के स्तर पर पूरी भागेदारी सुनिश्चित की जा सके। एक सुझाव यह था कि क्षेत्रीय बैठकें की जायें ताकि सही रिपोर्ट मिल सके व उस पर विचार हो सके।

कार्यसमिति के सभी सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि नयी आर्थिक नीति व वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार आंगनवाड़ी को समाप्त कर सकती है अथवा उसे निजी मालिकों या ठेकेदारों को सौंप सकती है। इसके विरुद्ध सबको संघर्ष करना होगा। इसके बाद यह विचार प्रकट किया गया कि जहाँ कहीं भी राज्य सरकार ने तदर्थ वृद्धि की है वहाँ कार्यभार भी बढ़ा दिया गया है। फेडरेशन ने सभी इकाइयों से मांग की कि वे ऐसी कोशिशों का विरोध करें। जहाँ राज्यों ने वृद्धि की है वहाँ वे उस वृद्धि को केन्द्र द्वारा की गयी वृद्धि के साथ समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं? महाराष्ट्र ने हमें ऐसी चालों के प्रति सचेत कर दिया है। उसका भी विरोध होना चाहिये।

यह भी बताया गया कि बिना किसी सहायक व्यवस्था के ए एन एम के काम भी आंगनवाड़ी महिलाओं पर थोप दिये गये हैं। खासतौर छोटे बच्चों की सार-संभाल का काम उन्हें सौंपा गया है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी महिलाओं से किचन गार्डन्स स्थापित करके बच्चों व जरूरतमंद माताओं के पोषण की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया जाता है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य स्थानों में अपर्याप्त ईंधन आपूर्ति व खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में अनियमितता की जानी मानी शिकायतें सामने आयीं।

सभी राज्यों ने संकेत दिया कि उनके सदस्य संघर्ष को तेज करने के लिए तैयार व न केवल एक दिन की हड़ताल के लिए तैयार हैं बल्कि महाराष्ट्र को दालिम्बि वैद्य ने सुझाव दिया कि कुछ सी डी पी ओ की रिपोर्ट भी रोकी जा सकती है। चन्द्रपुर की ज्योत्सना ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी संभावना है। इस बात पर सहमति हुई कि जहाँ आन्दोलन कमजोर है वहाँ निलम्बन व शोषण जैसी कार्रवाईयों की कोशिशों पर नजर रखी जाये व एक सफल अखिल भारतीय हड़ताल की जाये।

गहन विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि राज्य आंगनवाड़ी फेडरेशनें 15 व 16 सितम्बर को राज्य विधान सभाओं के समक्ष धरना देंगें व नवम्बर में जिस दिन संसद सत्र आरंभ होती है एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगी। निश्चित तिथि बाद में घोषित की जायेगी।

कार्यकारी अध्यक्ष, डॉ. बाब्तोष रॉय ने विजयवाड़ा के स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बैठक को सफल बनाने में सहयोग दिया।

15 सितंबर को पंजाब में जबर्दस्त धरना

ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्ज एण्ड हैल्पर्ज फेडरेशन के आह्वान पर पंजाब व चंडीगढ़ की आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक जबर्दस्त रैली की। ये सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी बसों, रेलों व ट्रकों से रैली में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंची।

रैली को संबोधित करते हुए अनेक मजदूर नेताओं ने राज्य सरकार से आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों को तुरन्त स्वीकार करने की अपील की। इन मांगों में कम से कम राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के समान वेतन यानि 1002 रु प्रति माह करने की—जब तक कि उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देकर उनकी योग्यतानुसार वेतन निर्धारित नहीं किया जाता—आंगनवाड़ी मजदूरों से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के रूप में पदोन्नत करके 100 रु. की वेतन वृद्धि, पहले से स्वीकृत मांगों पर अमल यानि, छः माह का गर्भावस्था अवकाश ग्रीष्मकालीन/शरद कालीन अवकाश, 14,000 अन्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शेष क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ करना, माह के पहले सप्ताह में मानदेय का भुगतान आदि शामिल हैं।

अन्य लोगों के अतिरिक्त रैली को ए.आई.ए.डब्ल्यू. एच.एफ. की सचिव सुरिन्दर कौर तथा आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन, पंजाब की संयोजक राजवन्त कौर तथा महासचिव कुलविन्दर कौर ने संबोधित किया। श्रीमती निर्मल कान्ता, राजरानी, कंवलजीत, बलविन्दर कौर, तथा स्त्री मुलाजिम तालमेल समिति, पंजाब की वरिष्ठ उपाध्यक्ष तलविन्दर कौर भी इस अवसर पर बोलीं। पंजाब सर्वोडिनेट सर्विस फेडरेशन के अध्यक्ष सुखेर बारी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सतनाम सिंह ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष में हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया।

ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्ज एण्ड हैल्पर्ज फेडरेशन की महासचिव श्रीमती नीलिमा मित्रा रैली में भाग लेने के लिए विशेष रूप से पंजाब आयीं, उन्होंने सरकार की जन-विरोधी व कर्मचारी-विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि न्यूनतम वेतन व शोषण समाप्त करने की मांगों को व्यापक एकता कायम करके ही पूरा कराया जा सकता है। मानदेय में वृद्धि (सहायिकाएं: 100 से 200 रु. व सेविकाओं का 275 से 400 रु. प्रतिमाह) की मांग का माना जाना आंशिक रूप से ही सही, मगर उनके सतत् संघर्ष की जीत है।

श्रीमती सुरिन्दर कौर ने विशेष रूप से चंडीगढ़ आकर रैली को संबोधित करने के लिए श्रीमती मित्रा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आनुपातिक कोटे में वृद्धि करके आपसी तबादलों की अनुमति देने, बैठकों में जाने के लिए यात्रा भत्ता देने आदि मांगें व्यापक एकता व संगठित संघर्ष के कारण ही मनवाई जा सकीं, उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से मांग की कि वे अपनी शेष मांगों को पूरा करवाने के लिए और व्यापक एकता कायम करें व जुझारू संघर्ष छेड़ें।

राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री गुरमेज सिंह भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री का संदेश देने के लिए आये। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीर रूप से विचार-विमर्श कर रही है तथा उनके बारे में अन्तिम निर्णय जल्दी ही किया जायेगा।

आंगनवाड़ी नेताओं का एक छः सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी मुख्य मंत्री श्री बेअन्त सिंह से सिविल सैक्रेटेरिएट में मिला। मुख्य मंत्री ने धैर्यपूर्वक प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुना व आश्वासन दिया कि उन्होंने तय कर लिया है कि वे जल्दी ही इस बारे में अन्तिम निर्णय करेंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण 1991-92

आर्थिक सर्वेक्षण (भाग-2, क्षेत्रीय विकास, महिला व बाल विकास का पहरा) में आई.सी.डी.एस. के बारे में दो पहरों में विचार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आई.सी.डी.एस. महिलाओं की सेवाओं को मान्यता मिल गयी है। हम आंगनवाड़ी योजनाओं के तहत कार्यरत अपनी कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक भाग को यहां उद्धृत कर रहे हैं। —सम्पादक

अनेक विश्लेषणात्मक अध्ययनों से पता चला है कि आई.सी.डी.एस. एक प्रमुख भौतिक आवश्यकता की पूर्ति कर रही है तथा आई.सी.डी.एस. के कार्यक्षेत्रों में बच्चों की जन्म-मृत्यु दर व परिवार नियोजन की स्थिति में सुधार हुआ है। आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत महिलाओं को क्रैच आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास जारी हैं, आखिरी लक्ष्य आंगनवाड़ी के तहत सभी सेवाएं प्रदान करके महिलाओं व बच्चों के सम्पूर्ण विकास की स्थिति पैदा करना है।

महिलाएं : कम मज़दूरी—मेहनत पूरी

आई. एल. ओ.

विश्व के अधिकांश भागों में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं। पुरुष कामगार महिलाओं के साथ घरेलू काम में हाथ नहीं बंटाते और रोजगार के स्तर पर भी उन्हें समान श्रम के लिए समान वेतन नहीं मिलता।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व के अनेक देशों में किए गये एक नये अध्ययन के अनुसार कार्य स्थल पर महिलाएं विशेष लाभ हासिल करने में नाकाम रही हैं तथा कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिशत भी घटा है।

श्रम संगठन का कहना है कि विकासशील देशों में यह अन्तर विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है जहां कभी-कभी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा वेतन मिलता है।

आई. एल. ओ. के महानिदेशक श्री माइकल हैन्समैन ने कहा कि अनेक संस्थाओं ने तो समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा को केवल बातों तक ही सीमित रखा है।

सभी राष्ट्रों को नब्बे के दशक में महिलाओं को समानता दिलाने की ओर आगे बढ़ना चाहिये।

श्री हैन्समैन ने चेतावनी दी कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तथा सन् 2000 तक अधिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात 38% की वर्तमान स्थिति से बढ़ नहीं पायेगा।

आंगनवाड़ी प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला

21 अगस्त, 1992 को आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद सदस्य का. समर मुखर्जी ने किया। श्रीमती गीता मुखर्जी (सांसद) तथा श्री रंजीत बसु (सीटू) भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया कि उन्होंने पहले ही सम्बद्ध विभाग से आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के बारे में योजना तैयार करने को कहा है तथा यह योजना जल्दी ही घोषित की जायेगी। हां, इस बार मंत्रालय के सम्बद्ध अधिकारी भी बातचीत के समय उपस्थित थे तथा उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में उठाये गये कदमों से अवगत कराया। श्री नरसिम्हा राव ने का. समर मुखर्जी व प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वे स्वयं यह देखेंगे कि मानदेय में वृद्धि संबंधी कोई घोषणा तुरन्त की जा सके।

प्रतिनिधि मंडल में श्री बी.के. प्रसाद (ए.बी.एम.एस.) किरण अरोड़ा व सुधा (एच.एम.एस.), राज कुमारी तथा हुकुम सिंह (एन.एफ.टी.यू.) एवं एटक के श्री फ्रांसिस शामिल थे।

विधान सभा पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर 16 सितंबर को भोपाल में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने म. प्र. विधानसभा पर धरना दिया। धरने में प्रदेश के कई जिलों और खास तौर से उत्तरी म.प्र. की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुईं।

धरने पर हुई आम सभा में बोलते हुए आंगनवाड़ी यूनियन का नेता कामगार महिला समन्वय समिति की संयोजिका संध्या शैली ने कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी और तत्काल इनकी माँगों को पूरा करने के लिए राज्यस्तरीय आंदोलन विकसित करने पर जोर दिया। सांसद मोहम्मद सलीम ने भी सभा को संबोधित करते हुए आँगनवाड़ी आंदोलन का समर्थन किया।

धरने पर हुई सभा में बोलने वाली अन्य जमस व कामगार महिला नेताओं में अफरोज शख, जयश्री शर्मा ऊषा रघुवंशी, कमलेश जैन, भागवती गुप्ता, रूपरापनी, कुसुमलता शर्मा, रूपरानी श्रीवास्तव, एवं गैसपीड़ित महिलाओं की नेता हाजरा बी ने भी संबोधित किया।

सीटू राज्य समिति के सदस्य दयाराम शर्मा अन्य समर्थक वक्ताओं में शामिल थे।

आंगनवाड़ी के हजारों बच्चे खिचड़ी से वंचित

दिल्ली के आंगनवाड़ी केन्द्रों के हजारों बच्चे अब खिचड़ी खाने से वंचित हो गए हैं। दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय ने इन केन्द्रों में खिचड़ी के लिए चावल और दाल की आपूर्ति बंद कर दी है।

समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक आर.एल. श्रीवास्तव ने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में जगह कम है। इनमें बच्चों के लिए खिचड़ी बनाना कठिन होता है। पर आंगनवाड़ी में काम कर रही सुपरवाइजरों का कहना है कि इन केन्द्रों में ज्यादातर सामान आता ही नहीं है। पहले भी बहुत कम केन्द्रों में बच्चों को खिचड़ी मिलती थी।

दिल्ली में आंगनवाड़ी के तीन हजार केन्द्र हैं। इनमें करीब तीस हजार बच्चों को कागजों पर आंगनवाड़ी की ओर से खाने-पीने का सामान वितरित किया जाता है। इन बच्चों को चना, चावल, रस, फूटी, सेवियां, बिस्कुट वितरित किए जाते हैं। यूनीसेफ की ओर से इन बच्चों को खिलौने वितरित करने के लिए दिए जाते हैं। पढ़ने के लिए सामान भी दिया जाता है।

सूत्रों के अनुसार ज्यादातर आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह सामान बच्चों को वितरित किया ही नहीं जाता। कई आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों ने दबी जुबान से यह बात स्वीकार की। उनका कहना था कि समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन केन्द्रों में सामान भेजा नहीं जाता। लाखों रुपये का सामान खरीदने के बाद बाजार में बेच दिया जाता है।

सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में करीब एक सौ बच्चों के नाम दर्ज होते हैं। पर इनमें से आमतौर पर आठ-दस बच्चों को भी नियमित रूप से खाने का सामान नहीं मिल पाता। बाकी बच्चों को दिया जाने वाला खाना तो कागजों पर ही पहुंचता है।

एक सुपरवाइजर ने इस संवाददाता से कहा कि एक सौ बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह किराए पर लेने के लिए सिर्फ एक सौ बीस रुपया महीना दिया जाता है। जबकि आज की महंगाई में एक सौ बीस रुपये में जगह मिलना भी कठिन है। फिर एक सौ बच्चों के खाने का सामान रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं होती। इस सुपरवाइजर ने स्वीकार किया कि कुछ केन्द्रों में बच्चों को खिचड़ी वितरित की जाती है। इस आदेश के बाद ये बच्चे भी खिचड़ी से वंचित रह जाएंगे।

(नवभारत टाइम्स 24-8-92)

सीटू द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नरसंहार की निन्दा

सीटू के सचिव मंडल ने 8 सितम्बर, 1992 को निम्न- लिखित वक्तव्य प्रेस के लिए जारी किया :

शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करके अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के 24 समर्थकों की हत्या करने व 162 अन्य को घायल करने के लिए सीटू सिज्कई की सैनिक तानाशाही की कड़ी भर्त्सना करती है। सिज्की रंगभेद सरकार के चार बचे हुए स्वतंत्र गृह प्रदेशों में से एक है जहाँ दक्षिण अफ्रीका की कठपुतली सरकार का शासन है। जब अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक सिज्की को पुनः दक्षिण अफ्रीका में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जुलूस निकाल रहे थे तभी सेना ने उनपर गोलीबारी आरम्भ कर दी।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस व ऐसे अन्य संगठनों के साथ, जो रंगभेद से लड़ रहे हैं, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए उन लाखों लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है जो मानवता के गंभीरतम अपराध के इस अवशेष से संघर्ष कर रहे हैं। सीटू माँग करती है कि रंगभेद के सभी अवशेषों को वापस लिया जाये तथा दक्षिण अफ्रीका में आम चुनावों के जरिये लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो इसके अलावा चारों अश्वेत गृह प्रदेशों को जहाँ दक्षिण अफ्रीका की कठपुतली सरकार का शासन है, दक्षिण अफ्रीका में मिलाया जाये।

सीटू मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह सिज्की के इस नरसंहार के विरुद्ध जबर्दस्त प्रदर्शन करें।

16 सितम्बर को आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना

एस. पुण्यवती

ऑल इंडिया फेडरेशन तथा संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 16 सितम्बर, 1992 को विधान सभा के समीप जगजीवन राम की मूर्ति के सामने आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना दिया। 18 जिलों व 40 परियोजनाओं से लगभग 1,500 महिलाएं धरने में शामिल हुई। अखबारों में छपी खबरों से धरने के बारे में जानकारी मिलने के बाद ऐसे जिलों से भी आंगनवाड़ी कर्मचारी धरने में आयीं जहां हमारा उनसे कोई सम्पर्क नहीं है। जुलूस का नेतृत्व ए. पी. महिला संगम की अध्यक्षा श्रीमती एम. स्वराजयम व अन्य नेताओं ने किया। धरने का आरंभ सुन्दरैया विज्ञान केन्द्रम से आरंभ हुआ व विधान सभा की ओर बढ़ा। जुलूस में महिलाएं वेतन, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते, पदोन्नति के अवसरों, के समर्थन में तथा सी. डी. पी. ओ. द्वारा परेशान किया जाने के खिलाफ नारे लगा रही थीं। जुलूस बाबू जगजीवन राम की मूर्ति के सामने रुक गया जहां एक धरने में तब्दील हो गया। आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं को सबसे पहले संसद में उठाने वाले सांसद कॉ. हनुमंत राव ने धरने को सम्बोधित किया। कॉ. वेंकटेश्वर राव (विधायक) ने भी धरने को सम्बोधित किया जिन्होंने विधान सभा में इस प्रश्न को उठाने के अतिरिक्त मंत्री महोदय के साथ हुए विचार-विमर्श में भाग लिया था। श्री कुंजी बोजी, श्री के. विक्रम (विधायक) भी धरने में बोले। श्रीमती एम. स्वराज्यम ने उपस्थित सदस्यों का अभिनन्दन किया तथा महिला संगम की ओर से समर्थन व्यक्त किया। सीटू की आंध्र प्रदेश समिति के अध्यक्ष कॉ. पी. सत्यनारायणन ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रति सरकार का रवैया उसकी मजदूर विरोधी नीतियों का एक अंग है तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संघर्ष में हाथ बंटाना चाहिये। उन्होंने इस जायज संघर्ष में सीटू का पूरा समर्थन व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता कामगार महिला समन्वय समिति, हैदराबाद की संयोजक कॉ. यू. सरोजा ने की।

धरने के बाद कॉ. पुण्यवती व कॉ. एन. स्वराज्यम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल समाज कल्याण मंत्री श्रीमती कुटुहलम्मा से मिला व उन्हें एक ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल थे। मंत्री महोदय ने 17 तारीख को समस्या पर विस्तार से विचार-विमर्श करने का वादा किया लेकिन बाद में इसे 18 तारीख के लिए मुलतवी कर दिया।

18 सितम्बर को कॉ. पुण्यवती, कॉ. के. एन. विजय लक्ष्मी व कॉ. के. सत्यवती मंत्री महोदय से मिलीं व उनके साथ विचार-विमर्श किया। महिला कल्याण निदेशक श्रीमती चन्दना खान व संयुक्त निदेशक वज्रवती भी बातचीत में शामिल थीं।

ज्ञापन में निम्न मांगें हैं :

1. वेतन का नियमित रूप से मासिक भुगतान जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को तीन माह के बजाय हर महीने में अनुदान जारी करना चाहिये।
2. 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश।
3. 45 वर्ष की उम्र तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पदोन्नति परीक्षाओं में शामिल होने देना चाहिये व उन्हें पदोन्नति देनी चाहिये।
4. अनुरोध पर किये जाने वाले तबादलों से सेवा-भंग नहीं होनी चाहिये।
5. यूनियन के नेताओं को सी. डी. पी. ओ. द्वारा तंग करना बन्द होना चाहिए।
6. केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं के बारे में राज्य सरकारों को केन्द्र को सुझाव भेजने चाहिए।

सरकार नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने व ग्रीष्म अवकाश के विषय पर विचार करने को सहमत हो गयी है। श्रीमती चन्द्रखान ने बतलाया कि उन्होंने सामान्य प्रशासनिक अनुभाग के प्रधान सचिव को पदोन्नति परीक्षाओं की उम्र 45 वर्ष करने के बारे में लिखा है। उन्होंने सी. डी. पी. ओ. द्वारा परेशान किए जाने पर भी

[शेष पृष्ठ 19 पर]

यूरोप में रात में भी काम करना पड़ता है महिलाओं को

यूरोपीय समुदाय के 6 सदस्यों, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल व स्पेन ने पिछले दिनों पुर्तगाल के साथ आई. एल. ओ. के रात्रि सेवा (महिला) सम्मेलन (संशोधित), 1948 की भर्त्सना की जिसमें महिलाओं से उद्योगों में रात में काम करने पर रोक लगायी गयी थी। इन देशों को यह तय करना था कि क्या वे 27 फरवरी, 1992 के पहले-पहले सम्मेलन की भर्त्सना कर देंगे। ऐसा न करने पर वे फिर दस वर्ष के लिए उससे बंध जाते क्योंकि सम्मेलन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मान्य करना होता है। डेनमार्क, जर्मनी और ब्रिटेन ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, जबकि आयरलैंड, लक्समबर्ग व हॉलैंड ने 10 वर्ष पहले इसकी निन्दा की थी। आई. एल. ओ. के 48 सदस्य देशों में जो अभी भी सम्मेलन के समर्थक हैं, अधिकतर विकासशील देश हैं।

यूरोपीय समुदाय के छः देशों का यह निर्णय 25 जुलाई, 1991 को यूरोपीय न्यायालय के एक निर्णय द्वारा सामने आया। इसके साथ ही यूरोपीय आयोग ने आई. एल. ओ. सम्मेलन सं० 89 के अनुपालन में उद्योगों में महिलाओं के रात में काम करने के विरुद्ध फ्रांसीसी प्रावधान पर फ्रांस को औपचारिक चेतावनी दी व कहा कि यह प्रावधान 9 फरवरी, 1976 के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्देश सं० 76/207 के खिलाफ है जो रोजगार में पुरुषों व महिलाओं को समानता प्रदान करता है।

नियोक्ता संतुष्ट हैं :

नियोक्ताओं की दृष्टि में यह निर्णय अनेक आर्थिक तकनीकी व कानूनी कारणों से न्यायसंगत है। महिला कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा देना समानता के सिद्धांतों के साथ असंगत है। उनके अनुसार आई. एल. ओ. सम्मेलन पुराना व भेदभावपूर्ण है क्योंकि वह आर्थिक व सामाजिक विकास को ध्यान में नहीं लेता। चालू कानून के साथ-साथ कार्यस्थलों के वातावरण व सुरक्षा उपायों का निरंतर विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा व आर्थिक दबावों के कारण 24 घण्टे का काम आवश्यक हो जाता है तथा 3-8 घण्टों की शिफ्टों के कारण महिलाओं का काम करना भी जरूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं को उद्योगों में काम के स्तर पर भेद-भाव पर भी आपत्ति है जो यह प्रश्न उठाता है कि सम्मेलन में केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ही महिलाओं के काम पर आपत्ति हुई है जबकि अस्पतालों, होटलों, प्रेस व परिवहन आदि के क्षेत्र में हाल के काम पर कोई ऐतराज नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड में रात में काम करने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है क्योंकि वहां नौकरियों में महिलाओं की ही प्रधानता है।

श्रम संगठनों का विरोध : अधिकतर श्रम संगठनों ने अपनी सरकारों द्वारा सम्मेलन सं० 89 की भर्त्सना किए जाने का विरोध किया है। उनका दावा है कि महिलाओं से रात में काम कराने पर से प्रतिबन्ध उठाना एक अधोगामी कदम है जिससे सामाजिक सुरक्षा छिन्न-भिन्न होगी व पारिवारिक खुशहाली प्रभावित होगी। अनेक यूनियनों ने परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी को देखते हुए उनकी नौकरी को विशेष स्थिति को मान्यता देने का समर्थन किया है। तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप रात को काम करने की आवश्यकता बढ़ती नहीं बल्कि घटनी चाहिए और सबसे पहले महिलाओं को ही मुक्त किया जाना चाहिए, विशेषकर उद्योगों में।

(पृष्ठ 18 का शेष)

कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया। श्रीमती वज्रवती ने बताया कि आई.सी.डी.एस. के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के अन्दर स्थानांतरण होने पर किसी आंगनवाड़ी कर्मचारी की सेवा भंग नहीं होनी चाहिये तथा यदि ऐसे मामले उनके सामने लाये गये तो वे देखेंगी कि कर्मचारियों की सेवा भंग न हो। सरकार इस बात से भी सहमत हुई कि वह केन्द्र के निर्णयाधीन मांगों के बारे में केन्द्र के सुझाव भेजेगी।

बलात्कार के एक चौथाई शिकार बच्चे हैं

बलात्कार के कुल मामलों में से लगभग 25 प्रतिशत मामले बच्चों के साथ बलात्कार के होते हैं और उनमें से बहुत से बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम होती है।

नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार 1991 में देश में बलात्कार के 9,794 मामले हुए। दिल्ली के कुछ मामले तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं :

☐ दयाबस्ती में 19 व 20 वर्ष के दो लड़कों एक चार वर्षीय बालिका को जबरन शराब पिलाई, पीटा व उसके साथ बलात्कार किया। इन युवकों के उसकी मां के साथ अवैध संबंध थे।

☐ मां की अनुपस्थिति में पिता ने एक 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया।

शिशु बलात्कार पर दो दिन के एक सेमीनार में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या मोनिका दास ने बताया कि ऐसी घटनाओं के शिकारों के साथ परिवार में ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे वे ही इसके लिए जिम्मेदार हों। वे अलग-थलग पड़ जाते हैं।

तमिलनाडु में मजदूर वर्ग के बीच बाल-बलात्कार पर काम करने वाले मैथिली सिवरामन का कहना है कि बलात्कार के शिकारों में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है और इसी कारण से सरकारी भूमिका भी सहायक नहीं रही।

उन्हें अक्सर पुलिस द्वारा तंग किया जाता है व अपराधी आजाद घूमते हैं।

यह मुद्दा 'काली फॉर वोमेन' की रीतू मेनन ने उठाया। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिये जिनमें अपराधी कानून की कमजोरियों के कारण साफ बच गये।

☐ 15 अप्रैल, 1988 को उड़ीसा में मयूरभंज में एक ग्रामीण को 5 वर्ष की लड़की से बलात्कार करने के आरोप में मौत की सजा दी गयी। उसने आगे अपील की व उच्चतम न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया।

तीनों जजों का मत था कि पूरा मामला परिस्थिति-जन्य सबूतों पर आधारित है और यह जानते हुए भी कि "एक गंभीर व घृणित अपराध हुआ है, अपराध के निश्चित प्रमाण न होने के कारण हमारे पास मुजरिम को शक का लाभ देने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।"

☐ इसी अप्रैल में उच्चतम न्यायालय ने जबलपुर के एक डाक्टर को एक आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के जुर्म में सात वर्ष की कैद व 25,000 रु का जुर्माना किया।

उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसमें केवल 3000 रु. का जुर्माना किया गया था।

सुश्री मेनन ने कहा कि पिछले दशक में बाल-बलात्कार के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। ये मामले शहर के भीतरी हिस्सों व घनी बस्तियों में ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये अपराध आर्थिक दृष्टि से पिछले लोगों तक ही सीमित हों।

पुलिस ने दो और खास बातें नोट कीं। एक-हिंसक यौन अपराधों में संलग्न अपराधियों का आयुवर्ग 30-40 से 18-25 हुआ। और दूसरा—ऐसे अपराधों में वृद्धि का सीधा संबंध अश्लील साहित्य व फिल्मों से है।

उन्होंने एक घटना का उदाहरण दिया जिसमें 8 व 12 वर्ष के दो लड़कों पर आठ वर्ष की एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप था। इन लड़कों ने बाद में कुछ समाज-सेवकों को बताया कि उन्हें टेलिविजन सीरियलों से प्रेरणा मिली थी।

रिपोर्टों के अनुसार अधिकतर मामलों में अपराधी बच्चों से पहले से परिचित थे। 1990 में सामने आये 79 मामलों में 48 में अपराधी रिश्तेदार या पारिवारिक मित्र थे।

उन्होंने अहमदाबाद के एक चिकित्सक के बारे में बताया जिसने बलात्कार की शिकार ऐसी 16 लड़कियों के बारे में बताया जिनके साथ उनके पिताओं ने मां की अनुपस्थिति में बलात्कार किया था।

अन्य दो के साथ भाइयों ने, 17 के साथ चाचा/मामा व चचेरे भाइयों ने बलात्कार किया। किसी भी मामले में मांएं कुछ बताने को तैयार नहीं थीं।

टी.यू. मेहता ने कानूनी कमियों की आलोचना करते हुए कहा कि कानून में बच्चों व बड़ों के साथ बलात्कार के मामलों में कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को निपटाने के लिए एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि चिकित्सकीय जांच को ही पर्याप्त प्रमाण माना जाना चाहिए व 16 वर्ष से कम के मामलों में सहमति का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी

[यह लेख जानी मानी स्तंभकार मधुमिता मजुमदार ने 'पीपुल्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग' द्वारा नई दिल्ली में 27-29 मार्च 1992 को ऋण-संकट, विश्वव्यापीकरण व सामाजिक न्याय पर आयोजित सम्मेलन में पढ़ा। —सम्पादक]

भारत आजकल कर्ज के एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। इसका कारण पिछली दो सरकारों द्वारा दस वर्षों की अवधि में अपनायी गई आर्थिक नीतियाँ ही नहीं हैं बल्कि पिछले चालीस वर्षों का त्रुटिपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम, वित्तीय कुप्रबंध भी इसका प्रमुख कारण रहा है। यह प्रवृति बढ़ती ही रही, खासकर कांग्रेसी शासन काल में। 1947 के बाद से ही महात्मा गांधी का नाम तो खूब लिया जाता रहा तथा प्रत्येक 2 अक्टूबर व 30 जनवरी को राजघाट पर चरखे पर सूत भी काता जाता रहा लेकिन राष्ट्रपिता ने स्वतंत्र भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का जो स्वप्न देखा था उस पर चलने का प्रयास पहले दिन से ही नहीं किया गया।

लेकिन उसके लिए शायद सिर्फ नेहरू को दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मरीचिका को जल समझकर देश का उस ओर नेतृत्व किया। जबकि मध्यम वर्ग जो कि कुल आबादी का केवल 10 प्रतिशत है नयी-नयी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कर रहा था, राष्ट्रीय नेताओं ने बड़े उद्योगों व बड़ी सिचाई परियोजनाओं के द्वारा देश को एकदम आगे बढ़ा देना चाहा। फैक्ट्रियों की धुंआ उगलती हुई ऊंची चिमनियों व बड़े बांधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये—आधुनिक भारत के मन्दिर हैं।

भूमि सुधार केवल कागजों पर ही हुए हैं। हरित क्रान्ति ने; जो केवल पंजाब व पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तक ही सीमित थी; बड़े किसानों के एक नये वर्ग को जन्म दिया है जबकि छोटे किसानों की दशा खराब ही रही है व गांवों में बसने वाली हमारी 80 प्रतिशत आबादी की परिस्थिति और विकट हो गयी है। हम अनाज के बड़े-बड़े भंडार इकट्ठे करने तथा गेहूँ व चावल का निर्यात करने में इसी लिए समर्थ हो सके हैं क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अन्न खरीदने में ही असमर्थ है। इसके अतिरिक्त एकतरफा आर्थिक विकास हुआ है जिसमें उच्च वर्ग के 10 प्रतिशत लोगों की बनावटी आवश्यकता वाले विलासिता के सामानों पर आसानी से धन कमाया जा सकता है। आवश्यकता काम के बदले भोजन या सड़के बनाने व टैंक खोद देने जैसे उपायों की उतनी नहीं थी, जो यदा-कदा किए जाते हैं और संकट समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, आवश्यकता रोजगार के वास्तविक अवसर पैदा करने की थी जो विकास की एक स्वतन्त्र गति कायम करते। असली समस्या सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं थी (हालांकि वह भी कुप्रबंध का शिकार हुआ है) बल्कि समस्या निजी क्षेत्र में धन जमा करने की प्रवृत्ति की थी।

इसके अलावा हमारी औद्योगिक व सिचाई परियोजनाओं ने प्रदूषण व पर्यावरण असंतुलन की समस्या भी पैदा की है जो कि शहरी वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल की कटाई से और बढ़ी है। इससे सूखे व बाढ़ की समस्या पैदा हुई व हिमालय व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से भूमि असंतुलन का खतरा पैदा हुआ।

ऐसे त्रुटिपूर्ण विकास को कायम रखने के लिए सरकार विदेशी बैंकों—विश्व बैंक, मुद्रा कोष व उनकी एजेंसियों —से अधिक से अधिक कर्ज लेती गयी। अब ऐसा ही और ऋण प्राप्त करने के लिए व उस कर्ज को चुकाने के लिए भारत सरकार और कर्ज लेने का प्रयास कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है व्यावसायिक बैंक भारत को अब और अनुदान नहीं देंगे। अतः विश्व बैंक मुद्राकोष से जो भी मिल सके वह लेने के जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि कर्ज न चुका पाने की राष्ट्रीय शर्म अमरीका के सामने अपनी प्रभुसत्ता के समर्पण से कम नहीं है जो विश्व बैंक, मुद्राकोष व 'गैट' के माध्यम से काम कर रहा है। इन एजेंसियों की अवमानना करने के बजाय सरकार डंकल सुझावों जैसे प्रस्तावों को स्वीकार करने व इस देश के बारे में ऑर्थर डंकल की योजनाओं में भारत को फिट करने के रास्ते ढूंढ रही है।

लगता है कि सोवियत ढांचे के पतन के बाद हमारे नेताओं ने घबराहट में काम करना आरंभ कर दिया है। एक अर्थ में प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहनसिंह अपनी जगह ठीक ही हैं : सरकार जनता को जो मिश्रण प्रदान कर रही है उसके बारे में सभी राजनैतिक पार्टियों में मतैक्य नजर आता है। और यह तालमेल नेहरू के ही समय में हुआ था और ये लगता है कि इसका किसी के पास कोई स्वीकारणीय विकल्प नहीं है। इसका प्रमुख कारण हमारा सांस्कृतिक दिवालियापन है। सोवियत संघ ने पश्चिम की चकाचौंध से भ्रमित हो कर वैसी ही समृद्धि राज्य पूंजीवाद द्वारा लाने का निश्चय किया। लेकिन उसने उस उपभोक्ता संस्कृति का कोई विकल्प नहीं रखा है जो इस व्यवस्था के साथ अनिवार्य रूप से आती है। हमारे नेताओं ने यही ढांचा यहाँ भी लागू करना चाहा तथा बिना कीमत चुकाए जो सोवियत संघ ने चुकाई थी। हमारे नेताओं व बुद्धिजीवियों ने अमरीका व सोवियत संघ दोनों से शाबाशी लेनी चाही और इस कोशिश में वे मुंह के बल गिरे। अब सोवियत ढांचे का पतन हो गया है तो जोंक की तरह अमरीका व पश्चिम से चिपकने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापी बनाने का यह अर्थ नहीं है। बल्कि इसका सही अर्थ तो यह है कि हम अपने व्यापारिक संबंध दक्षिण के इन देशों के साथ मजबूत करें जो हालांकि समृद्ध हैं लेकिन जिनका तकनीकी विकास भारत के स्तर तक नहीं हो सका है। बेशक सरकार की वर्तमान नीति में कठोर विकल्पों का प्रयोग नहीं है लेकिन उसके परिणाम कठोर ही होंगे। ये परिणाम हैं—कमजोर आर्थिक चिन्तन तथा अपने व दूसरों के अनुभवों से सबक न लेना। पश्चिमी देशों के समक्ष उपस्थित अनेक समस्याओं में से दो प्रमुख समस्याएं व्यापारिक मंदी तथा पर्यावरण का अंधाधुंध विनाश हैं।

खासतौर पर ऐसे समय में जब कि हमारे नेता महिलाओं व बालिकाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने की बात कर रहे हैं विश्व बैंक व मुद्रा कोष के आदेश पर उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाली नीतियाँ अपनाया जाना विडम्बनापूर्ण है। हमारे प्रधान मंत्री ने हिम्मत-पूर्वक यह घोषणा की है कि खाद्य पदार्थों पर से सब्सिडी नहीं हटाई जायेगी चाहे विश्व बैंक कुछ भी करे। तथापि, उचित दर दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं की आधिकाधिक कीमतों में वृद्धि हो गयी है व अभी और हो सकती है। दूसरी ओर इन दुकानों के मालिकों द्वारा जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाने या वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि भारत में घर-परिवार की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की है तथा पुरुष भौतिक अथवा भावनात्मक रूप से गृहस्थी से जुड़े हुए नहीं होते, आने वाले कुछ माहों में महिलाओं पर ही सर्वाधिक दबाव पड़ेगा।

जनता से राष्ट्र के हित में कमर कसने व मुश्किलें उठाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन राष्ट्र का अर्थ होता है—उसके नागरिक, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जो महिलाएं खुद भुखमरी का शिकार हैं व अपने बच्चों को कुपोषण का शिकार होते हुए देख रही हैं, उनसे और किस बलिदान की उम्मीद की जा रही है। उसका कारण यह नहीं है कि माताएं संतुलित आहार के बारे में अनभिज्ञ है, जैसा कि यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन व स्वयं हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय हमें विश्वास दिलाना चाहता है इसका सीधा कारण भुखमरी की स्थिति है।

अगर मान भी लिया जाये कि अगले दो वर्षों में चमत्कार हो जायेगा व प्रत्येक परिवार का बजट भरा-पूरा हो जायेगा तो भी जो बच्चे इस अवधि में भुखमरी व मौत का शिकार हो जायेंगे उनका कौन जिम्मेदार होगा? संकट का समय महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष रूप से कष्टकर होता है। यह बात सभी प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के लिए सही है। वर्तमान समय संकट का समय है और महिलाओं व बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़नेवाले इसके प्रभावों को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। आखिर, महिलाएं हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं।

अपने बच्चे को भूख से मरते हुए देखने वाली मां की व्यथा भी हमारे नेताओं को हिला नहीं पायी है और मनमोहन सिंह पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़नेवाला नहीं है। वे सोचते हैं कि यहाँ-वहाँ जमीन के कुछ पट्टे व सिलाई मशीन, कम्बल व गद्दे बांट देने से महिलाएं सरकार को बहुत दयालु समझ लेंगी। जब तक हमारे राजनीतिज्ञों को निरक्षर जनता के वोट मिलते रहने का भरोसा है, वे उनकी वास्तविक खुशहाली के बारे में सोचने वाले नहीं हैं। समस्याओं के प्रति वास्तविक चिन्ता दिखाने के बजाय

थोड़े-थोड़े समय बाद झुनझुने बांटते रहना सरकार के लिए ज्यादा लाभप्रद है।

सरकारी नौकरियों व सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में छंटनी की तलवार सबसे पहले महिला कामगारों पर ही गिरेगी। क्योंकि महिलाओं को आमतौर पर सिलाई-कढ़ाई तथा अचार-मुरब्बे बनाना ही सिखाया जाता है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए गांवों में तैयार बाजार उपलब्ध नहीं है न ही शहरों में उनकी बिक्री को सुलभ बनाने के लिए कोई तैयार ढांचा है। महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें बढ़ईगिरी, बुनाई आदि जैसे कामों का प्रशिक्षण देना चाहिये, लेकिन ऐसे हुनरों पर केवल पुरुषों व कुछ एजेंसियों का ही एकाधिकार समझा जाता है, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान का जिम्मा लिया हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था के एकतरफा विकास ने महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके स्थान से भी विस्थापित कर दिया है। परम्परागत रूप से महिलाएं अनाज के रख-रखाव व पशुपालन आदि का काम करती आयी हैं लेकिन इन्हीं सब कामों की आधुनिक/तकनीकें सिर्फ पुरुषों को सिखाई जा रही हैं। आने वाले कुछ महीनों में यह रूझान और बढ़ेगा। महिलाएं किसी भी ओर बढ़ना चाहें हर तरफ उन्हें अपना मार्ग अवरुद्ध ही नजर आयेगा।

मानदेय राशि में बढ़ोत्तरी

एटक, एच.एम.एस., सीटू व अन्य श्रम संगठनों की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य 20-9-92 को प्रेस को जारी किया जा रहा है:

आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की संघर्ष समिति देश भर की आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपनी जायज माँगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी सफल हड़ताल करने के लिए बधाई देती है।

संयुक्त संघर्ष समिति ने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में हुई मामूली वृद्धि के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबरों को नोट किया है। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा 126 रु. व 90 रु. की वृद्धि अनेक संघर्षों, दिल्ली व राज्यों में अनेक धरनों के बाद संभव हुई है लेकिन शिक्षा, परिवार कल्याण व ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सेवाओं को देखते हुए यह वृद्धि उनकी अपेक्षा से कम है। इसके अलावा जबकि वर्तमान परिस्थितियों में चावल, बाजरा, तेल व गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, यह वृद्धि महिलाओं का अपमान ही है।

संयुक्त संघर्ष समिति महिलाओं से अपील करती है कि संगठित संघर्ष छेड़ें ताकि न्यूनतम वेतन व नियमितीकरण की माँगों को पूरा कराया जा सके।

बाल मजदूरी की चिन्ता

क्रेच व शिशु देखभाल सेवा के लिए फोरम

एफ.ओ.आर.सी.ई.एस. ने शिशु देख-भाल के मुद्दे की ओर सांसदों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नवंबर के तीसरे सप्ताह में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने का फैसला किया है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण सभी संगठन महिलाओं व बच्चों की स्थिति के बारे में चिन्तित हैं।

शिशु देखभाल सेवा व क्रेच की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए विद्याबेन शाह (आई.सी.सी. डब्ल्यू.) व सी.डब्ल्यू.डी.एस. की एक प्रभावशाली रणनीति तैयार करने की अपील पर 11 सांसदों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

'यूनिसेफ' द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों का अनुसरण करने वाले दस ऐसे देशों में अध्ययन किया गया जो बच्चों की शिक्षा व टी.बी. से मौतों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस अध्ययन के संदर्भ में देश के विभिन्न क्षेत्रों के 30 संगठन शिशु देखभाल के बारे में ठोस सुझावों के लिए काम करने के उद्देश्य से आगे हैं, जिसमें केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ये सुझाव बाल-श्रम की समस्या को समाप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं। यह दुखद तथ्य है कि भारत बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन का सदस्य नहीं है तथा बाल मजदूरों पर निर्भर हमारे कालीन उद्योग को उन देशों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा जिनके प्रति 'फोरसेज' उपर्युक्त सम्मेलन के अनुमोदन के लिए प्रतिबद्ध है।

[पृष्ठ 2 का शेष]

संविधान को मानने के लिए तैयार है न कानून । पूरा देश इस बात से सहमत है कि राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए इस काम के लिए तो सभी तैयार है । लेकिन इनकी यह जिद है कि मस्जिद तोड़ कर ही मंदिर बनाना है । चाहे देश में आग लग जाए चाहे बेकसूरों की जान जाए । ऐसे विचारों के भयानक परिणाम होते हैं । फिरकापरस्ती की आग में हजारों हजार परिवार तबाह हुए हैं । दंगों में तो ज्यादातर गरीब लोग ही मारे जाते हैं और उनमें पहला शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं । 1990, अक्टूबर नवम्बर में 266 लोग मारे गए थे । जिनमें 203 दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे । उन 266 में 31 महिलाएं थी और 23 बच्चे थे जिनकी उम्र 6 महीने से 11 साल तक थी । क्या बेकसूरों और मासूम की हत्या से कोई धर्म मजबूत होता है ? हरगिज नहीं । हमारा यह मानना है कि या तो आपसी बातचीत से हल निकाला जाए, नहीं तो अदालत के फैसले को मानना चाहिये । लेकिन कानून को ताक पर रखकर ताकतें धर्म को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है । महिलाओं का इस सवाल से सीधा सम्बन्ध है । हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिक सद्भाव हो, शान्ति हो, एकता हो, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन के गिरते स्तर को सुधारने के लिए संघर्ष करें । हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जहां तक महिलाओं की बराबरी का सवाल है अधिकारों को दबाने के लिये तमाम धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें चाहें वे किसी भी कौम की क्यों न हो एक हो जाती है ।

अतः हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय महिला संगठनों ने फैसला किया है कि सद्भाव, शान्ति और एकता के लिए देश व्यापि अभियान चलाएगें । हमारा नारा है: **मंदिर बने मस्जिद रहे सभी कानून का पालन करें ।** इन राष्ट्रीय संगठनों के साथ हर प्रदेश में भी अलग-अलग महिला संगठनों ने इस अभियान में शामिल होने का फैसला लिया है । और 5 नवम्बर को हम लोग सब मिलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशाल जलूस निकालेगें । **हम एक हैं, हम एक रहेंगें ।** आईए हमारा साथ दीजिए इन ताकतों की साजिस को नाकामयाब करते हुए बेहतर जिन्दगी के लिए संघर्ष को मजबूत करें ।

Book Post